न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 04/2016 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सूरज पुत्र स्व0 हरदेवा, जाति ब्राहमण निवासी डूंगा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. छीतर पुत्र स्व0 हरदेवा, जाति ब्राहमण, निवासी डूंगा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....अप्रार्थीगण/अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

..... प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री राजबहादुर तंवर, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 22.01.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा 1 के तहत इस अमर का पेश किया कि उपखण्ड के ग्राम चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 1.15 है0, 713 रकबा 0.97 है0 का खातेदार अभिधारी है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त आराजीयात में पहुंच के प्रयोजन के लिये विद्यमान कच्चा मार्ग रास्ता ग्राम कोलाहेडा से ग्राम कोलाहेडा में स्थित खसरा नंबर 86, 87, 90 के तरफ पूर्व की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर ग्राम चांदपुरी के लिये जा रहा है। जिस मार्ग से तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर खसरा नंबर 90 वाके ग्राम कोलाहेडा में से तरफ उत्तर की ओर 12 फुट चौडा मार्ग जिसे नजरी नक्शा में 'बी' से 'सी' दर्शाया है, होते हुये सूरज छीतर पिसरान हरदेव मु0 मौहरी बेवा हरदेवा जाति ब्राहमण निवासीयान डूंगा का बास तहसील थानागाजी में स्थित खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 155 रकबा 0.05 है0, 154 रकबा 0.34 है0, 153 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम डूंगा का बास में से तरफ दक्षिण की डोल के सहारे सहारे तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 12 फुट चौडा मार्ग जो आवेदक के खातेदारी खसरा नंबर 713 वाके चांदपुरी में स्थित है, तक सरासर जारी है। जो कदीम से विद्यमान और जारी है। जिस रास्ता को नजरी नक्शा में 'ए' से बी' रंग सुर्ख से दर्शाया गया है, जिस मार्ग का उपयोग उपभोग

BL

मिन प्रार्थी आवेदक हल, बैल, वाहन आदि ले जाकर व अमदरफत रखकर करता आ रहा है। इसके अलावा मिन प्रार्थी आवेदक की आराजीयात में आने जाने का अन्य कोई मार्ग नही है। और विद्यमान मार्ग ही आवेदक की आराजीयात पर आने जाने के लिये एकमात्र निकटतम व लघुत्तम रास्ता है। जो प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर मौके के खिलाफ पेश किया है। इस प्रार्थना पत्र की तामील गैरसायलान पर नियमानुसार नही हुई व तहत अदालत ने गैरसायलान की एकतरफा दिनांक 09.10.2015 को गलत तरीके पर सादिर की है व तहत अदालत ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2016 को एकतरफा में पारित किया है व तहत अदालत द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र कानूनन गलत तरीके पर स्वीकार किया है। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पुत्र संजीव कुमार ने भी पहले इस बाबत ग्राम पंचायत कोलाहेडा में प्रार्थना पत्र पेश किया था जो ग्राम पंचायत कोलाहेडा ने उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार महोदय, थानागाजी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। हम अपीलाण्टान ने तहसीलदार थानागाजी के यहां जवाब पेश किया व अंकित किया कि मोतीराम, रोहिताश ने पूर्व खातेदार मांगूसिंह पुत्र रामनारायण सिंह से दिनांक 08.11.1996 को श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, थानागाजी से खसरा नंबर 84, 85 एवं 31 को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा तहरीर व तकमील करवाया है। बैरोज खरीद आराजी पर मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं था। ना आज मौके पर कोई रास्ता है। बल्कि मौके पर हम अपीलाण्टान की खातेदारी की आराजी है। अपीलाण्टान की आराजी दोनों ग्राम क्रमशः कोलाहेडा व डूंगा का बास की सीमा स्थित है। दोनों गांवों की सीमा के बीच के मौके पर कभी रास्ता नहीं रहा ना आज मौके पर रास्ता है। रेस्पो0 को सीमा चिन्ह को मिटाने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। क्योंकि सीमा चिन्ह समाप्त नहीं किये जा सकते। रेस्पो0 ने जो रास्ता होना बताया है उसमें पूर्व दिशा के खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्टान के खसरा नंबर 87 व 90 के खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आराजी से भी कोई रास्ता नहीं है। बल्कि मौके पर दोनों गांव की सीमा पर आराजी काश्त की जमीन व खातेदारों के रिहायशी बने हुए है। तहसीलदार थानागाजी के यहां घनश्याम रेस्पो. पुत्र संजीव कुमार ने इसी अमर का एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर गिरदावर वृत नारायणपुर ने जांच रिपोर्ट पेश की व तहसीलदार थानागाजी ने प्रकरण संजीव कुमार बनाम मोतीलाल वगैरा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 का निर्णय दिनांक 08.03.2014 को प्रार्थना पत्र संजीव कुमार का खारिज किया। जिसकी पेशबन्दी के लिए गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पो0 ने तहत अदालत में बउनवान घनश्याम बनाम सूरज वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क गलत तरीके पर पेश किया व अपीलाण्टान के खिलाफ इकतरफा में प्रार्थना पत्र का निस्तारण तहत अदालत ने दिनांक 22.01.2016 को किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 251 क में पूर्व में रास्ता निर्धारित होने पर बन्द किये हए रास्ते को खुलवा सकता है। खातेदारी की भूमि में नया 251 क में नया रास्ता नहीं खोला जा सकता। यह अधिकार केवल सिविल अदालत को है। तहसीलदार रिपोर्ट इकतरफा में हमारी अनुपस्थिति में बनाई गई है। हमारे खसरा नंबर में से रास्ता बनने पर भी रास्ता सम्पर्क में नहीं

BL

आता क्योंकि हमारे खेत से लगते हुए अगले खसरा नंबरों में भी रास्ता नहीं है। घनश्याम रेस्पो. की आराजी ग्राम चांदपुरी में है। इसलिए उन्हे चांदपुरी की आराजी में से रास्ता लेना चाहिए। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2016 को निरस्त किया जावें।

जबाव बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 1.15 है0, 713 रकबा 0.97 है0 का खातेदार अभिधारी है। प्रार्थी रेस्पो0 अपनी उपरोक्त आराजीयात में पहुंच के प्रयोजन के लिये विद्यमान कच्चा मार्ग रास्ता ग्राम कोलाहेडा से ग्राम कोलाहेडा में स्थित खसरा नंबर 86, 87, 90 के तरफ पूर्व की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर ग्राम चांदपुरी के लिये जा रहा है। जिस मार्ग से तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर खसरा नंबर 90 वाके ग्राम कोलाहेडा में से तरफ उत्तर की ओर 12 फुट चौडा मार्ग जिसे नजरी नक्शा में 'बी' से 'सी' दर्शाया है, होते हुये सूरज छीतर पिसरान हरदेव मु0 मौहरी बेवा हरदेवा जाति ब्राहमण निवासीयान डूंगा का बास तहसील थानागाजी में स्थित खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 155 रकबा 0.05 है0, 154 रकबा 0.34 है0, 153 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम डूंगा का बास में से तरफ दक्षिण की डोल के सहारे सहारे तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 12 फुट चौडा मार्ग जो आवेदक के खातेदारी खसरा नंबर 713 वाके चांदपुरी में स्थित है, तक सरासर जारी है। जो कदीम से विद्यमान और जारी है। जिस रास्ता को नजरी नक्शा में 'ए' से बी' रंग सुर्ख से दर्शाया गया है, जिस मार्ग का उपयोग उपभोग मिन प्रार्थी आवेदक हल, बैल, वाहन आदि ले जाकर व अमदरफत रखकर करता आ रहा है। इसके अलावा मिन प्रार्थी आवेदक की आराजीयात में आने जाने का अन्य कोई मार्ग नही है। और विद्यमान मार्ग ही आवेदक की आराजीयात पर आने जाने के लिये एकमात्र निकटतम व लघुत्तम रास्ता है। रेस्पो0 विद्यमान रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित कराना चाहता है जिस हेतु नियमानुसार देय प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।
आरआरटी 2016(1)पेज 649, आरआरटी 2017(1) पेज 423.

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित कानूनी नजीरें पेश की।
आरआरटी 2001(2)पेज 1105 एचसी, आरआरडी 1999 पेज 152 एचसी, आरआरडी 2016 पेज 229, आरआरटी 2017(2)पेज 980, आरआरटी 2019(1) पेज 574, आरआरटी 2018–19 सप. पेज 511.

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया।बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण की उचित तामील नही होकर सुनवाई का उचित अवसर ही नही दिया गया।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर खारिज किया जाना चाहिये न कि तकनीकि आधार पर। न्यायालय को मियाद के बिंदु पर नरम रूख अपनाना चाहिये। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी द्वारा जारी नोटिस तामील का अवलोकन किया गया। सूरज वल्द स्व0 हरदेव व छीतर वल्द हरदेव की अंगूठा निशानी का अवलोकन किया गया। दोनों अंगूठा निशानियों के मिलान पर जनसामान्य दृष्टिकोण से यह प्रकट होता है कि तामील

कुनिन्दा द्वारा उचित रूप से बांये हाथ के अंगूठा निशानी नही लिखा गया है एवं निशानी भी सही रूप से प्रकट नही होती है। प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा ही दोनों अप्रार्थीगणों की अंगूठा निशानी बनाई गई है। न ही तामील पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर हैं।

इस प्रकार विधिक रूप से तामील नही होने के कारण अप्रार्थीगणों द्वारा जबाव भी प्रस्तुत नही किया गया एवं तहत अदालत द्वारा बिना विधिक सुनवाई का मौका दिये निर्णय पारित किया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 22.01.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहत अदालत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये, तहसीलदार को मौके पर भिजवाया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार कर, विधि अनुसार पुनः अपना निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.04.2020 को उपस्थित हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
28/2/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर